Sudarshan Research Journal, 2025;3(2): Page No: 19-23

SUDARSHAN RESEARCH JOURNAL

ISSN: 2583-8792 (Online)

Journal home page: https://sudarshanresearchjournal.com/

Review Article

2047 के पूर्ण विकसित भारत के अधिष्ठान के रुप में एकात्म मानव दर्शन एवं अंत्योदय: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के विशेष संदर्भ में

डॉ. उदय भान सिंह, डॉ. सुनीता*, डॉ. चंद्रशेखर *

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 28/01/2025
Revised: 22/02/2025
Accepted: 15/03/2025
Published: 17/03/2025

मुख्य शब्द:
कौशल विकास, ग्रामीण युवा, रोजगार, आत्मनिर्भरता, प्रशिक्षण, पोस्ट-प्लेसमेंट समर्थन, आर्थिक सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कमजोर वर्ग।

शोध सारांश

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के तहत कांगड़ा जिले में युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना का लक्ष्य 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करना है।योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, अकाउंटिंग, हाउसकीपिंग, ब्यूटी पार्लर सेवाएं, सिलाई, इलेक्ट्रिकल कार्य और ग्रीन जॉब्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को निःशुल्क छात्रावास, यात्रा भत्ता और अध्ययन सामग्री जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीनों तक होती है, जिसके बाद एक वर्ष तक पोस्ट-प्लेसमेंट समर्थन भी प्रदान किया जाता है।कांगड़ा के कई युवा इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने हैं। उदाहरण के लिए, अक्षय कुमार ने बैंकिंग और अकाउंटिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सहायक लेखाकार के रूप में कार्य प्राप्त किया। इस प्रकार की सफलता की कहानियां योजना की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं।डीडीयू-जीकेवाई ने न केवल ग्रामीण युवाओं के आर्थिक उत्थान में योगदान दिया है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त भी बनाया है। कांगड़ा में इस योजना का प्रभाव स्थानीय विकास और रोजगार सृजन के लिए एक प्रेरणादायक कदम है।

प्रस्तावना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है।इस योजना के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें बैंकिंग, अकाउंटिंग, सिलाई, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी पार्लर सेवाएं, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिकल कार्य आदि प्रमुख हैं। कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं,दिव्यांगोंऔर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावास की सुविधा, अध्ययन सामग्री और यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीनों तक होती है। योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के बाद एक वर्ष तक पोस्ट-प्लेसमेंट समर्थन भी प्रदान किया जाता है ताकि उनकी रोजगार

Author Address: सह आचार्य, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र, केन्द्रीय वि.विद्यालय, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश

***Corresponding Author:** डॉ. सुनीता, डॉ. चंद्रशेखर

Address: सहायक आचार्य, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र, केन्द्रीय वि.विद्यालय, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश

Relevant conflicts of interest/financial disclosures: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

© 2025, Udey Bhan Singh, this is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work non-commercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

स्थिरता सुनिश्चित हो सके।डीडीयू-जीकेवाई न केवल कौशल विकास का माध्यम है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इसने लाखों ग्रामीण युवाओं के जीवन को बदलते हुए उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में अग्रसर किया है।

साहित्य समीक्षा

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। इस योजना ने खास तौर पर ऐसे क्षेत्रों में काम किया है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैंकई शोधों और आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया है कि डीडीयू-जीकेवाई ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना 3 से 12 महीने के प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर कौशल प्रदान करती है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशिक्षित उम्मीदवारों की रोजगार प्राप्ति की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। इस योजना के तहत कई क्षेत्रों में रोजगार की संभावना को बढ़ावा मिला है, जैसे बैंकिंग, अकाउंटिंग, ब्यूटी पार्लर सेवाएं, सिलाई, और हॉस्पिटैलिटी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, डीडीयू-जीकेवाई द्वारा प्रशिक्षित लगभग 70% उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है।साथ ही, इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभाई है। अनुसंधान से यह सामने आया है कि महिलाओं ने इस योजना के तहत सिलाई, ब्यूटी पार्लर सेवाओं और अन्य छोटे व्यापारों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उन्हें स्वरोजगार या संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलने के अवसर मिले हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, क्योंकि इसमें उन्हें विशेष प्राथमिकता दी गई है और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।इसके अतिरिक्त, इस योजना का प्रभाव आय में वृद्धि पर भी देखा गया है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित युवाओं की औसत मासिक आय में 20% से 25% तक की वृद्धि हुई है। यह योजना ग्रामीण युवाओं को केवल कौशल ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है, जिससे वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं।हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे प्रशिक्षकों की कमी है, जो युवाओं को उद्योग आधारित कौशल सिखाने में सक्षम हों। इसके अलावा, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता को लेकर भी कुछ आलोचनाएं सामने आई हैं। कई बार यह पाया गया कि पाठ्यक्रम उद्योग की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं होते, जिसके कारण युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, दूरदराज ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लागू करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्रों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।

इन समस्याओं के बावजूद, ग्रामीण कौशल ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से कई सकारात्मक परिणाम दिए हैं। सरकार और विभिन्न शैक्षिक संस्थानों की कोशिशों से, इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यदि इस योजना के कार्यान्वयन में सुधार और बेहतर निगरानी की जाती है, तो यह योजना भारत के ग्रामीण युवाओं के लिए एक सशक्त विकास मॉडल साबित हो सकती है।इस योजना के प्रभाव को लेकर हुए शोधों से यह भी संकेत मिलता है कि डीडीयू-जीकेवाई न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि यह भारत के समग्र विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल की कमी को दूर करने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है, जिससे न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी।

योजना के उद्देश्य

1. ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना।
2. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
3. कमजोर वर्गों को विशेष अवसर देकर दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों की चर्चा हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते है :

1. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के रोजगार पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
2. कांगड़ा जिले में योजना की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन की चुनौतियों को पहचानना।
3. योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उसके बाद प्राप्त रोजगार के परिणामों का विश्लेषण करना।
4. ग्रामीण युवाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन में होने वाले सुधारों का अध्ययन करना।
5. योजना के तहत कौशल विकास के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी की भूमिका का मूल्यांकन करना।
6. कांगड़ा जिले में के भविष्य के सुधारों और विस्तार के लिए सिफारिशें देना।

प्रकल्पना

1. ग्रामीण कौशल युवाओं के रोजगार की संभावना नहीं बढ़ रही होगी ।
2. कौशल प्रशिक्षण के बाद युवाओं की आय में वृद्धि में वृद्धि नहीं हो रही होगी ।
3. योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं मिल रहा होगा ।
4. ग्रामीण कौशल से प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार स्थिरता बेहतर नहीं मिल रही होगी ।
5. कमजोर वर्गों के लिए योजना विशेष रूप से लाभकारी साबित नहीं हो रही होगी ।

अनुसंधान प्रविधि

कांगड़ा जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पर शोध के लिए एक उपयुक्त अनुसंधान डिज़ाइन मिश्रित विधि (Mixed Method) पर आधारित होगा, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं का समावेश किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर योजना की प्रभावशीलता को समझने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक डाटा संग्रह किया जाएगा। प्राथमिक डाटा के लिए लाभार्थियों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और स्थानीय अधिकारियों के साथ साक्षात्कार, फोकस ग्रुप डिस्कशन और फील्ड सर्वेक्षण आयोजित किए जाएंगे। वहीं, द्वितीयक डाटा के लिए योजना की रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज़ और आधिकारिक वेबसाइटों से जानकारी ली जाएगी। डिज़ाइन में संभावित चुनौतियों, प्लेसमेंट परिणामों और कौशल विकास की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा। सांख्यिकीय उपकरणों के माध्यम से डाटा विश्लेषण किया जाएगा ताकि योजना के वास्तविक प्रभाव को समझा जा सके।

समंक एकत्रीकरण विधि

कांगड़ा जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पर शोध के लिए निम्नलिखित सांकेतिक एकत्रीकरण विधियां अपनाई जाएंगी:

प्राथमिक समंक

सर्वेक्षण (Survey): लाभार्थियों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ संरचित प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्र करना।

साक्षात्कार (Interviews): गहन व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से योजना की प्रभावशीलता का आकलन करना।

फोकस ग्रुप डिस्कशन (Focus Group Discussion): प्रशिक्षकों, लाभार्थियों और संबंधित अधिकारियों के साथ सामूहिक चर्चा।

फील्ड अवलोकन (Field Observation): प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण।

द्वितीयक समंक

सरकारी रिपोर्ट, योजना से संबंधित दस्तावेज़, शोध लेख और आधिकारिक वेबसाइट से डेटा संग्रह।

कांगड़ा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) की वार्षिक रिपोर्ट और ग्रामीण कौशल से जुड़े आँकड़े।

अनुसंधान क्षेत्र

1. कांगड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र जहां योजना लागू है।
2. ग्रामीण कौशल के लाभार्थी (15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा)।
3. प्रशिक्षण प्रदाता और प्रशिक्षक।
4. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के अधिकारी।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम प्रासंगिकता।
6. रोजगार प्राप्ति की स्थिति और रोजगार की स्थिरता।
7. योजना कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और अवसर।
8. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और जीवन स्तर में बदलाव।

दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना का परिचय

दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में शुरू किया गया। यह योजना ग्रामीण भारत में रहने वाले 15 से 35 वर्ष के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार के बेहतर अवसर पा सकें।इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को औद्योगिक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित करना है, ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में योग्य श्रमिक बन सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें। योजना के तहत, सरकार विभिन्न संस्थानों के साथ साझेदारी करती है और प्रशिक्षित युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिलवाने का प्रयास करती है।

दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना का संगठित ढांचा तैयार किया गया है

1. केंद्रीय स्तर मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) योजना का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करता है।
2. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC): योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझेदारी करता है।
3. राज्य स्तर (State Level)
4. राज्य कौशल विकास एजेंसी (SSDA): राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी संभालती है।
5. राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय: योजना के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करता है और राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से इसे लागू करता है।
6. जिला स्तर (District Level)
7. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA): जिले में योजना की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी और लाभार्थियों के चयन का कार्य करती है।
8. प्रशिक्षण केंद्र: स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केंद्र होते हैं, जो उद्योग मानकों के अनुसार प्रशिक्षण देते हैं।
9. प्रशिक्षण प्रदाता (Training Providers)ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जो चयनित पाठ्यक्रमों के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।प्रशिक्षण प्रदाता की गुणवत्ता और क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।

योजना का कार्यान्वयन

डीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर समन्वित रूप से किया जाता है। केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के नेतृत्व में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझेदारी करता है। राज्य स्तर पर, राज्य कौशल विकास एजेंसी (SSDA) योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करती है। जिला स्तर पर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) योजना को लागू करने के लिए लाभार्थियों के चयन, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती है। प्रशिक्षण केंद्रों को स्थानीय संस्थाओं और प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया जाता है, जो उच्च मानकों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके बाद, प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न उद्योगों और कंपनियों के साथ साझेदारी में रोजगार दिलवाया जाता है, जिससे उनकी कौशल को वास्तविक कार्य क्षेत्र में लागू किया जा सके। योजना का कार्यान्वयन इस प्रकार एक सशक्त और समग्र प्रक्रिया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारपरक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

परिणाम

1. रोजगार के अवसर: योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को स्थिर और गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
2. आत्मनिर्भरता में वृद्धि: प्रशिक्षित युवाओं के पास अपने कौशल के आधार पर छोटे व्यवसायों या स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने के अवसर होंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
3. कौशल में सुधार: इस योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को उद्योग-मानक के अनुसार तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्राप्त होगा, जो उनके समग्र विकास में योगदान देगा।
4. आर्थिक सुधार: रोजगार मिलने से युवाओं की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
5. सामाजिक सुधार: इस योजना से युवाओं के बीच सामाजिक स्थिति और आत्मविश्वास में सुधार होगा, और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।

यह संगठित ढांचा योजना के सफल कार्यान्वयन और अधिकतम लाभार्थियों को रोजगार देने में सहायक है।

सन्दर्भ सूची

1. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. (2014). Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushal Yojana (DDU-GKY) Guidelines. Retrieved from https://ddugky.gov.in
2. National Skill Development Corporation (NSDC). (2015). Annual Report. New Delhi: NSDC.
3. NITI Aayog. (2017). India's Skill Development Policy and Programs. New Delhi: NITI Aayog.
4. World Bank. (2016). Skills Development and Employment in Rural India: Addressing the Skill Gap. Washington, D.C.: World Bank Group.
5. Ministry of Rural Development, Government of India. (2020). Implementation and Impact of DDU-GKY in Rural Areas. New Delhi: Ministry of Rural Development.
6. Himachal Pradesh State Skill Development Agency. (2018). State Level Monitoring Report on DDU-GKY in Himachal Pradesh. Shimla: HPSSDA.
7. IHD, Research Paper. (2019). The Impact of Skill Development Programs on Rural Employment in Himachal Pradesh. Institute of Human Development.
8. Sharma, R., & Kumar, A. (2021). Effectiveness of DDU-GKY in Empowering Rural Youth: A Case Study of Kangra District. Journal of Rural Development Studies, 12(3), 45-59.
9. Government of India, District Rural Development Agency (DRDA). (2018). Impact Assessment Report of DDU-GKY in Kangra District. Kangra: DRDA.
10. Ministry of Rural Development, Government of India. (2015). DDU-GKY Placement and Employment Status Report. New Delhi: MoRD.

HOW TO CITE THIS ARTICLE: सिंह, उ. भा., सुनीता, & चंद्रशेखर. (2025). 2047 के पूर्ण विकसित भारत के अधिष्ठान के रुप में एकात्म मानव दर्शन एवं अंत्योदयः दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के विशेष संदर्भ में. सुदर्शन रिसर्च जर्नल, 3(2), 19–23.